



2026:AHC:41256-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

क्रिमिनल मिसलेनियस रिट याचिका संख्या: - 3554 वर्ष 2026

जीनत एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : आनंद पति तिवारी

प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि दिनांक 15.01.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिससे अपराध संख्या 0002 सन् 2026, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना साइबर क्राइम, जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत वाद उत्पन्न हुआ है, को निरस्त किया जाए।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई आरोपित अपराध परिलक्षित नहीं होता है, अतः विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का जोरदार विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि तीन गंभीर प्रकृति के आधार मामलों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई है।
5. विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अपराध स्पष्ट

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रूप से प्रकट होता है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी (2017) 2 एससीसी 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, प्रतिवेदित (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315** तथा हाल के निर्णय **प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य (क्रिमिनल अपील संख्या 843/2024)** में प्रतिपादित विधि के आलोक में विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तीन गंभीर प्रकृति के आधार मामलों के आधार पर विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई है, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत प्रासंगिक विधि को दृष्टिगत रखते हुए, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञेय अपराध का प्रकटीकरण होता है, हमारा मत है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

7. तथापि, यदि याचिकाकर्ता सक्षम न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत अथवा नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उनके जमानत आवेदन पर विधि के अनुसार यथाशीघ्र विचार कर उसका निस्तारण किया जाएगा।

8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

24 फरवरी, 2026

नदीम

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।